

अनुलग्नक - VIII

विषय : वर्ष 2021-2022 की पारदर्शिता लेखा परीक्षा रिपोर्ट की केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को प्रस्तुति।

कृपया आरटीआई/विधिक एकांश से प्राप्त दिनांक 5.8.2022 का संदर्भ लें। स्थापना अनुभाग से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु 1.11 उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है, से संबंधित सूचना अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

बिंदु 1.5 कार्य निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख-धारा 4(1)ख(v)

(iv) स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश	आरटीआई एकांश को पृथक् टिप्पण पहले ही दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया है।
--	--

बिंदु 4.5 धारा 4(i)(ख)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित इस प्रकार की अन्य विहित जानकारी :

(i) शिकायत निवारण तंत्र	शिकायतों का उत्तर देने के लिए एक विधिक एकांश के प्रावधान के साथ सतर्कता एकांश भी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति है।
(ii) आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के विवरण और उपलब्ध करवाई गई सूचना योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची।	आरटीआई एकांश द्वारा निपटाए गए।
(iii) पूर्ण हो चुकी योजनाओं /परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	स्थापना अनुभाग द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है
(iv) प्रक्रियाधीन योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	स्थापना अनुभाग द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है

(v) ठेकेदार के नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंधन का पूर्ण होने की अवधि सहित समस्त अनुबंधों के विवरण	मैसर्स साई कम्प्युनिकेशन अनुबंधन दिसंबर, 2020 से 31.08.2022 तक है राशि : लगभग 85.00 लाख
(vi) वार्षिक रिपोर्ट	यह कार्य जनसंपर्क एकांश द्वारा किया जाता है
(vii) प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	आरटीआई एकांश द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड करवा दिया गया है।
(viii) अन्य सूचना (क) नागरिकता चार्ट (ख) परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (ग) छमाही रिपोर्ट (घ) नागरिक चार्ट में निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रदर्शन	आरटीआई एकांश द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड करवा दिया गया है। स्थापना अनुभाग से संबंधित नहीं है लागू नहीं है लागू नहीं है

वर्ष 2021-2022 की दंडों की सूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम	शास्ति का आधार (प्रमुख)	शास्ति की दिनांक
1.	श्री टी.मथनराज, सहायक संपादक (तमिल)	समय वेतनमान में संचयी प्रभाव सहित तीन वर्ष की अवधि हेतु निम्न चरण में कमी का दंड।	23.03.2022

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शास्ति या बड़ी शास्ति कार्रवाई लंबित है :-

मामूली शास्ति की संख्या	लंबित/अंतिम रूप से दी गई प्रमुख शास्ति
0 (शून्य)	01 (एक)